

फार्म

14

\*अचल सम्पत्ति विवरणिका वर्ष 2013-2014, 31.12.13 तक की विषयि-  
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष -

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम : सुभाष चन्द्र मालवीया
2. वर्तमान पता : 132 केडी उपसेक्टर एम.ए. कीटा ओपाळ
3. कार्यालय का नाम : सहायक जेजी 0/0 कार्यालय जेजी (परी सं II) म.प्र. टा. कीटा ओपाळ
4. वर्तमान वेतन : 410110/4DA 5. भविष्य निधि क्र. : खाता नं.- 22199409 6. कर्मचारी संख्या : 90419380

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीदा, ***पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा।	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1. श्रीमती रायसनेर 3 6 नुपुरा सी. मेडल प्लॉट नं. 237 सी-3	प्लॉट (अकान)	निरंक	18 लाख	श्रीमती रेखा मालवीया पत्नी	SBI पर्सनल लोन एवं वेतन से बचत द्वारा मार्च 2011	नहीं	
2. (इंशात पाक) ओपाळ रत्नरोकला रायसनेर 3 इंशात पाक 110	प्लॉट 22 X 50 feet	निरंक	20 लाख	श्रीमती रेखा मालवीया पत्नी	MDFC बैंक जर्ण द्वारा अर्जित अगस्त 2010	नहीं	

हस्ताक्षर

नाम : सुभाष चन्द्र मालवीया

पद : सहायक जेजी 132 केडी उपसेक्टर ओपाळ

\*जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

\*\*ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\*इसमें त्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करे। और उसमें वह उसके स्वामित्व तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित अचल संपत्ति का विवरण है।